30/10/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रावके, पक्ष प्रार्थीगण निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाकर शामिल किया गया। पत्रावली नियम से जमा हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/206

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 147/2022 GCMS:- 2022/206 **दायर दिनांक : 15.06.2022**

1. निशान सिंह
2. कर्म सिंह
3. धर्म सिंह

} पुत्रगण सोहन सिंह जाति कंम्बो सिख निवासी राणियां तहसील राणियां जिला सिरसा (हरियाणा)

4. गुरप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कम्बो सिख निवासी राणियां तहसील राणियां जिला सिरसा (हरियाणा)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. हरजीत कौर पुत्री बिल्लू सिंह धर्मपत्नी काला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. उप—पंजीयक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा व श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 30.10.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण. पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92'ए' व 209 आर.टी.ए., 1955 के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया सं. 1 के पिता बिल्लू सिंह को जरिये मिसल सं. 582/2007 निर्णय दिनांक 10.05.2007 को रोही रंगमहल के खसरा नं. 182 में 20.05 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन की गयी थी, जिस पर अप्रार्थीया सं. 1 के [illegible] जीवनपर्यन्त कब्जा काश्त रहा व दिनांक 02.02.2014 को उनके स्वर्गवास [illegible] एकमात्र वारिस अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा था। [illegible] उक्त भूमि आरजी काश्त पर आवंटन हुई थी, जो बाद में आवंटन [illegible], 1975 के तहत कीमतन पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आवंटन की गयी। बिल्लू सिंह उक्त भूमि का गैरखातेदार कृषक था जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत एक टिनेंट की तारीफ में आता है एवं उसकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थीया सं. 1 को उक्त अधिकार वंशानुगत प्राप्त हुए, जिस पर उसका कब्जा गैरखातेदार कृषक के रूप में रहा है। उक्त आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं होने से रकबा राज दर्ज कर दी गयी, जबकि इससे पहले उपनिवेशन विभाग के समय बरवक्त तैयारी जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 45 में बिल्लू सिंह पुत्र आत्मा सिंह खाता सं. 84 में अंकित काश्तकार के रूप में दर्ज था। राजस्व विभाग द्वारा बरवक्त तैयारी रिकॉर्ड भूमि रकबा राज दर्ज कर दी गयी जो कि विधिक अधिकारों के खिलाफ है। अप्रार्थीया सं. 1 ने घरू जरूरीयात रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमि का सौदा 17,21,000/—रू. में रोबरू गवाहान किया व तमाम राशि प्राप्त करने के बाद भूमि का कब्जा खरीददारान/प्रार्थीगण को सौंप दिया एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर व इन्तकाल दर्ज होने के 1 माह के भीतर अप्रार्थीया सं. 1 ने प्रार्थीगण के पक्ष में बैयनामा करवाने के लिए तय पाया था। इकरारनामा तहरीर व तकमील होने के पश्चात् रोबरू गवाहान हस्ताक्षर कर दिये तथा इकरारनामा मय भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सौंप दिया। उक्त इकरारनामा नोटेरी पब्लिक सूरतगढ़ से तस्दीकशुदा है। मौका पर भूमि का कब्जा सौंपने का शपथ—पत्र भी अलग से तहरीर करवाकर दिनांक 24.01.2022 को प्रार्थीगण को सौंप दिया, तब से प्रार्थीगण का मौका पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगण ने काश्त कर रखी है व ढ़ाणी बनाकर आबाद हैं। अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदयान्ति आ चुकी है व अजनबी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर मौका पर अब उसके द्वारा अजनबी व्यक्तियों को लाकर मौका दिखाया जा रहा है। प्रार्थीगण ने इस विषय पर अप्रार्थीया सं. 1 से बात की तो उसने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया और कहा कि मेरी भूमि खाली कर दो, वरना अजनबी व्यक्तियों को लाकर आपको जमीन से बेदखल कर दूंगी। यदि अप्रार्थीया सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गयी और प्रार्थीगण को रकबा से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व वाद—पत्र/प्रार्थना—पत्र का म[illegible] समाप्त हो जायेगा एवं मौका पर लड़ाई—झगड़ा होगा, इसलिए [illegible] चूंकि रोही रंगमहल के खसरा नं. 182 में 5.123 है0 बारानी भूमि, जो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है, पर अप्रार्थीया सं. 1 को स्वयं अथवा अन्य किसी अजनबी व्यक्तियों द्वारा

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:19 IST
Reason: SelfAttested

मदाखलत बेजा नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जैरप्रकरण रकबा के सम्बन्ध में अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार ने कैवियट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार द्वारा कैवियट प्रार्थना–पत्र विड्रा करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर कैवियट प्रार्थना–पत्र विड्रा करने की अनुमति प्रदान की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 04.07.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण में दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अन्य अंकित तथ्य कि प्रार्थीगण का कब्जा होने से वे गैर खातेदार उप–कृषक माने जाने योग्य हैं, को अस्वीकार किया। साथ ही प्रार्थीगण के इन कथनों को भी अस्वीकार किया कि रोही रंगमहल के खसरा नं. 182 की 20.05 बीघा बारानी भूमि पर इकरारनामा के आधार पर कब्जा काश्त है व उक्त कब्जा को लगातार बनाये रखने की घोषणा के पात्र हैं तथा हॉल्डिंग ऑवर टिनेंट की तारीफ में आते हैं। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बिना किसी उचित आधार के व अप्रार्थीया के विधिक अधिकारों के विरुद्ध प्रस्तुत होने के कारण काबिल निरस्ती के होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर तहसीलदार सूरतगढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया, जो इस प्रार्थना–पत्र में मंगवाया जाना उचित नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 04.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मियाद ताफैसला वाद बढ़ाये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया सं. 1 ने [illegible] जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एव [illegible] प्रस्तुत [illegible] रकबा की गिरदावरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सम्वत् 2075–78 का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में रकबा अप्रार्थीया सं. 1 के पिता बिल्लूसिंह के नाम टी.सी. आवंटन दर्ज है। टी.सी. आवंटनशुदा रकबा का अन्तरण नहीं किया जा सकता तथा अप्रार्थीया सं. 1 ने किसी प्रकार का कोई इकरारनामा भी प्रार्थीगण के हक में निष्पादित नहीं किया है। इस कारण से केवल उक्त इकरारनामा के आधार पर स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण जैरप्रकरण रकबा के किसी भी प्रकार से गैर खातेदार उप–कृषक माने जाने योग्य नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण ने बिना किसी ठोस आधार के व अप्रार्थीया को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए पूर्व में दिनांक 04.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि दस्तावेजी रिकॉर्ड अनुसार जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थीया सं. 1 के पिता बिल्लू सिंह के नाम टी.सी. आवंटन दर्ज है तथा अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत इकरारनामा को निष्पादित किये जाने से भी इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में इकरारनामा के आधार पर सिविल कोर्ट द्वारा ही कोई अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय इकरारनामा के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण को प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार से टी.सी. आवंटनशुदा रकबा पर निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण के हकों का निर्णय वाद में होना है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनना साबित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार पूर्व में दिनांक 04.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 30.10.2025 को निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.31 18:54:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)